

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] No. 590] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2014/कार्तिक 23, 1936 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2014/KARTIKA 23, 1936

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिस्चना

म्ंबई, 31 **अ**क्तूबर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 803(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (पिरसंपित्तयों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 13/2000-आरबी) में निम्निलेखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.13/2000-आरबी) में,—

- A. विनियम 4 में,-
- ए) उप विनियम (2) में, खंड (iii) में,-

4514 GI/2014 (1)

"के प्रस्तुत करने पर प्रति वित्तीय वर्ष 1,000,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर मात्र) से अनिधक राशि विप्रेषित कर सकते हैं" शब्दों एवं अंकों को "के प्रस्तुत करने पर प्रति वित्तीय वर्ष 1,000,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर मात्र) से अनिधक राशि भारत में लागू करों, यदि कोई हों, की अदायगी करने पर विप्रेषित कर सकते हैं" शब्दों एवं अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (i) उप खंड (क) में से "और" शब्द हटाया जाएगा।
- (ii) मौजूदा उप खंड (ख) हटाया जाएगा।
- बी) उप विनियम (3) में,-
 - (i) अनिवासी भारतीय (NRI)/भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) प्रति वित्तीय वर्ष 1,000,000 अमरीकी डालर (एक मिलियन अमरीकी डालर मात्र) से अनिधिक राशि विप्रेषित कर सकता है" शब्दों एवं अंकों में (राशि शब्द) के बाद, 'भारत में लागू करों, यदि कोई हों, की अदायगी करने पर' शब्द अंतर्निहित किए जाएंगे।
 - (ii) खंड (i) में, उप खंड (क) में से "और" शब्द हटाया जाएगा।
 - (iii) खंड (i) में, मौजूदा उप खंड (ख) हटाया जाएगा।
 - (iv) खंड (ii) में, उप खंड (क) में से, "और" शब्द हटाया जाएगा।
 - (v) खंड (ii) में, मौजूदा उप खंड (ख) हटाया जाएगा।
- सी) उप विनियम (4) में,-
 - (i) खंड (ii) में, उप खंड (क) हटाया जाएगा।
 - (ii) उप खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—
 - "(iii) भारत में लागू करों, यदि कोई हों, की अदायगी करने पर"
- B. विनियम 7 में,-
 - ए) उप विनियम (1) में, मौजूदा खंड (C) हटाया जाएगा।
 - बी) मौजूदा उप विनियम (2), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
 - "(2) उप विनियम (1) के अंतर्गत आवेदनपत्र पर विचार करते समय, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी इस संबंध में, समय-समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अंतर्गत, भारत में लागू करों, यदि कोई हों, की अदायगी करने पर विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।"

[सं. फेमा. 324/2014-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, म्ख्य महाप्रबंधक

<u>पाद टिप्पणी</u>:

मूल विनियमावली 5 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 396(अ) के जिरये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

- a. 19 अगस्त 2002 के सा.का.नि. सं. 576(अ),
- b. 4 अगस्त 2003 के सा.का.नि. सं. 630(अ),
- c. 1 सितंबर 2003 के सा.का.नि. सं. 699(अ),

- d. 4 अगस्त 2004 के सा.का.नि. सं. 493(अ),
- e. 30 मई 2007 के सा.का.नि. सं. 400(अ),
- f. 15 फरवरी 2008 के सा.का.नि. सं. 90(अ),
- g. 23 नवंबर 2009 के सा.का.नि. सं. 837(अ),
- h. 9 अगस्त 2011 के सा.का.नि. सं. 199(अ).

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st October, 2014

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 803(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 13/ 2000-RB dated May 3, 2000), namely—

2. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. Amendment of the regulations

In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 13/2000-RB dated May 3, 2000),

A. In regulation 4,—

- a) in sub-regulation (2), in clause (iii),—
- (i) for the words and figures "may remit an amount, not exceeding US\$ 1, 000, 000 (US Dollar One Million Only) per financial year on production of,", the words and figures "may remit an amount, not exceeding US\$ 1, 000, 000 (US Dollar One Million Only) per financial year subject to payment of applicable taxes in India, if any, on production of," shall be substituted.
- (ii) in sub-clause (a), the word "and" shall be deleted.
- (iii) the existing sub-clause (b) shall be deleted.
- b) in sub- regulation (3),—
- (i) after the words and figures, "A Non-Resident Indian (NRI) / Person of Indian Origin (PIO) may remit an amount not exceeding US \$ 1, 000, 000 (US Dollar One Million Only) per financial year", the words, "subject to payment of applicable taxes in India, if any," shall be inserted.
- (ii) in clause (i), in sub-clause (a), the word "and" shall be deleted.
- (iii) in clause (i), the existing sub-clause (b) shall be deleted.
- (iv) in clause (ii), in sub-clause (a), the word "and" shall be deleted.
- (v) in clause (ii), the existing sub-clause (b) shall be deleted.
- c) in sub-regulation (4),—
- (i) in clause (ii), sub-clause (a) shall be deleted.
- (ii) after clause (ii), the following shall be added namely,—
- "(iii) payment of applicable taxes in India, if any."

- B. In regulation 7,—
- a) in sub-regulation (1), the existing clause (C) shall be deleted.
- b) the existing sub-regulation (2), shall be substituted by the following namely,—
- "(2) On consideration of the application made under sub-regulation (1), the authorized dealer concerned may permit the remittance subject to the directions issued by the Reserve Bank in this regard, from time to time and payment of applicable taxes in India, if any."

[No. FEMA. 324/2014-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 396 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*:—

- a. No. G.S.R. 576 (E) dated August 19, 2002;
- b. No. G.S.R. 630 (E) dated August 4, 2003;
- c. No. G.S.R. 699 (E) dated September 1, 2003;
- d. No. G.S.R. 493 (E) dated August 4, 2004;
- e. No. G.S.R. 400 (E) dated May 30, 2007;
- f. No. G.S.R. 90 (E) dated February 15, 2008;
- g. No. G.S.R. 837 (E) dated November 23, 2009
- h. No. G.S.R. 199 (E) dated August 9, 2011.